प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 92/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार' पर अनुशंसाएँ जारी कीं।

नई दिल्ली, 22 सितंबर 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने' पर अपनी अनुशंसाएँ जारी की हैं।

भादूविप्रा देश के सुदूर, पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार पर लगातार काम कर रहा है। इससे पहले, भादूविप्रा ने भारत के दुर्गम और दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार को कुछ प्रमुख अनुशंसाएँ भी की थीं।

2. हालाँकि पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं, लेकिन अभी भी हाई-स्पीड मोबाइल-आधारित इंटरनेट और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की कमी है, जिसका मुख्य कारण अपर्याप्त ट्रांसमिशन बैंडविड्थ (ओएफसी/माइक्रोवेव/सैटेलाइट) है। पूर्वोत्तर राज्य विभिन्न कारणों से एक महत्वपूर्ण डिजिटल विभाजन से जूझ रहे हैं, जैसे इलाके की दुर्गम स्थिति, बिजली आपूर्ति की खराब उपलब्धता, ट्रांसमिशन मीडिया से संबंधित सीमाएं, टीएसपी के लिए ख़राब रेतुर्न ऑफ़ इन्वेस्टमेंट (RoI) की संभावनाएं और राइट-ऑफ-वे (RoW) से संबंधित मुद्दे। यह विभाजन क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बाधित करता है, आवश्यक सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, और पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों के बीच विकासात्मक अंतर को बढ़ाता है।

3. प्राधिकरण ने दूरसंचार बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति, इसकी तैनाती में मुद्दों और आगे के सुधार के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों का आकलन करने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ स्वतः ही व्यापक परामर्श और बातचीत (बैठकें, प्रगति समीक्षा, क्षेत्र दौरे आदि) आयोजित की ताकि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी निवासियों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। उपर्युक्त परामर्शों के आधार पर प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, डिजिटल अंतर को कम करने, आर्थिक क्षमता को बढ़ाने, भौगोलिक चुनौतियों से निपटने, सहयोग को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विषयगत अनुशंसाएँ तैयार की हैं। ये अनुशंसाएँ क्षेत्र की दूरसंचार की रीढ़ को काफी मजबूत करेंगी, जिससे निर्बाध संचार, कुशल निगरानी और प्रभावी सीमा समन्वय संभव होगा।

4. अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

(i) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों की संबंधित राज्य सरकारों के साथ जुड़ना, ताकि:

क. अपने संबंधित आरओडब्ल्यू नीति को "भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमावली, 2016" और उसमें किए गए संशोधनों के अनुरूप यथाशीघ्र बनाया जा सके।

ख. ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पांच साल की अवधि के लिए राइट-ऑफ-वे (आरओडब्ल्यू) शुल्क से छूट लागू की जा सके।

ग. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में जहां भी लागू हो, टीएसपी पर लगाए जा रहे अतिरिक्त 25% 'आदिवासी विकास शुल्क' की छूट प्रदान की जा सके।

घ. मोबाइल टावर और टावर स्थानों के लिए डीजी सेट स्थापित करने के लिए टीएसपी को पर्यावरणीय मंजूरी देने में तेजी लाने के लिए उनकी नीति में सक्षम प्रावधानों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना।

(ii) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों को निम्न कदम उठाने चाहिए:

क. दूरसंचार साइटों को उपयोगिता/औद्योगिक टैरिफ पर प्राथमिकता के तौर पर (कनेक्शन अनुरोध के 15 दिनों के अंदर) बिजली प्रदान करना।

ख. दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार साइटों तक बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए अंतिम छोर तक स्थापना शुल्क माफ करना या सब्सिडी देना।

ग. संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा उपयोगिता शुल्क निर्धारित करना जो औद्योगिक शुल्क से कम होना चाहिए। दूरसंचार सेवा/बुनियादी ढांचा प्रदाताओं पर केवल ऐसे उपयोगिता शुल्क लागू होने चाहिए।

(iii) यूएसओएफ को ऐसी यूएसओएफ वित्त पोषित साइटों पर सौर बैकअप स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए, जहां कोई बिजली कनेक्टिविटी नहीं है और केवल डीजी सेट पर चल रहे हैं।

(iv) एमएनआरई और संबंधित राज्य सरकार को सभी दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों में तत्काल दूरसंचार साइटों पर महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों (मौजूदा और नए) पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापना को वित्तपोषित करने के लिए एक योजना (रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम चरण-II के अंतर्गत आरडब्ल्यूए/जीएचएस के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के अनुरूप) बनाना चाहिए।

(v) डीओटी/यूएसओएफ को डीएचक्यू या राज्य की राजधानी से सभी 119 बीएचक्यू तक, जिनमें ओएफसी कनेक्टिविटी नहीं है, रिंग टोपोलॉजी (प्रत्येक बीएचक्यू पर ऐड-ड्रॉप सुविधा के साथ अनुरूप बैंडविड्थ) पर ओएफसी बैकबोन कनेक्टिविटी के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) मॉडल पर तुरंत कैपेक्स (CAPEX) सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए।

(vi) यूएसओएफ एसएलए मॉडल पर शुरू में 5 वर्षों के लिए बनाए गए नेटवर्क के संचालन और रखरखाव को वित्तपोषित करेगा, जिसके बाद इन बीएचक्यू में सेवाओं के आधार पर परिचालन सब्सिडी को आगे जारी रखने के लिए निर्णय लिया जा सकता है।

(vii) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आईपी-I के कंसोर्टियम, प्रस्तावित डीसीआईपी (भादूविप्रा की अनुशंसा 'एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण (डीसीआईपी) का आरंभ' दिनांक 08 अगस्त 2023 को देखें) और टीएसपी के संघ को प्रोत्साहित करें।

(viii) परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) की फील्ड इकाइयों को परियोजना निगरानी का काम सौंपा जाना चाहिए।

(ix) 4G संतृप्ति परियोजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि:

क. पहले चरण में, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर की संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से ऐसे सभी कवर नहीं किए गए/गैर-4G गांवों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनमें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस स्टेशन, डाकघर, राशन की दुकानें, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह स्थित हैं, चाहे गाँव की जनसंख्या जो भी हो।

ख. अगली प्राथमिकता 250 या उससे अधिक आबादी वाले अन्य सभी गांवों और राजमार्ग 4G कवरेज में सुधार के लिए योजनाबद्ध सभी स्थानों को दी जाएगी।

(x) दूरसंचार विभाग/यूएसओएफ को सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के सभी गांवों का सर्वेक्षण करवाना चाहिए और ऐसे गांवों में अतिरिक्त साइटों की योजना बनानी चाहिए और उन्हें स्थापित करना चाहिए, जिनका कवरेज आंशिक है या जहां गांव का कुछ हिस्सा वंचित क्षेत्र में आता है।

(xi) दूरसंचार विभाग को 'वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना के तहत राज्यों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए निष्पादन समयसीमा बढ़ाने के लिए व्यय विभाग के साथ कदम उठाना चाहिए, विशेष रूप से भाग V जिसमें ओएफसी का उपयोग करते हुए अंतिम मील कनेक्टिविटी का विस्तार करने का दायरा शामिल है। प्रस्तावित विस्तार कम से कम 2-3 साल का होना चाहिए, जो समान यूएसओ वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई समयसीमा के अनुरूप हो।

(xii) प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि:

क. केंद्र को केवल कुछ ग्रामीण स्तर के सरकारी संस्थानों को भारतनेट कनेक्शन प्राप्त करने, डिजिटल संचार उपकरणों की खरीद और कनेक्टिविटी के लिए मासिक उपयोग शुल्क को कवर करने में सहायता करने के उद्देश्य से राज्यों (पूर्वोत्तर सहित) को अनुदान के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

ख. अनुदान को 25:75 के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें अनुदान का 25% इन संस्थानों द्वारा टर्मिनल एंड डिजिटल संचार उपकरणों की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और 75% अनुदान का उपयोग मासिक उपयोग शुल्क तथा कनेक्टिविटी की लागत का बीएसएनएल को भुगतान करने के लिए किया जाना चाहिए।

ग. प्रत्येक राज्य के लिए बीएसएनएल को राज्य सरकार को एक समेकित मासिक बिल जारी करना चाहिए। बीएसएनएल को केवल ऐसे कनेक्शनों के लिए बिल जारी करना चाहिए जहां मीटर रीडिंग में वृद्धि हुई है या महीने के दौरान डेटा का उपयोग किया गया है। राज्य सरकार से बीएसएनएल को भुगतान केंद्रीकृत होना चाहिए और सत्यापन के कारण इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। कोई भी सत्यापन, यदि आवश्यक हो, कार्य के बाद या एक केंद्रीकृत ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए।

घ. दूरसंचार विभाग अन्य राज्यों में कार्यान्वयन के साथ-साथ भारतनेट परियोजना के उपयोग के लिए उपरोक्त अनुशंसाओं पर विचार कर सकता है। अन्य राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान का प्रतिशत दूरसंचार द्वारा उचित रूप से तय किया जा सकता है।

(xiii) दूरसंचार विभाग को भारतनेट परियोजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के दूर-दराज या सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों में दूरसंचार कवरेज (ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित) का विस्तार करने के लिए बीएसएनएल को

एनएफएस नेटवर्क के ओएफसी की एक/दो पेयर के आवंटन के लिए रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के साथ बातचीत करनी चाहिए। यदि यह संभव नहीं है, तो ऐसे गांवों में दूरसंचार कवरेज का विस्तार करने के लिए अपने मौजूदा कार्यात्मक ओएफसी पर उपयुक्त बैंडविड्थ आवंटित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है।

(xiv) दिनांक 31.08.2021 के 'रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड एनहांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड' के अंतर्गत पहले से ही अनुशंसित जिला स्तरीय समितियों का तत्काल गठन करना चाहिए। दूरसंचार बुनियादी ढांचे की तैनाती की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन के लिए इन समितियों की हर महीने ऑनलाइन बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

(xv) दिनांक 24.04.2023 को "लद्दाख के दूर-दराज के इलाकों में टेलीकॉम कवरेज और बैकहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार" के अंतर्गत पहले की गई अनुशंसाओं के अनुरूप, प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि:

क. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने बैकहॉल ट्रांसमिशन मीडिया वाले सभी संचालित टीएसपी को उचित और भेदभाव रहित नियमों और शर्तों पर, कार्यान्वयन एजेंसियों सहित किसी भी लाइसेंस प्राप्त टीएसपी/आईएसपी को मौजूदा और भविष्य की यूएसओएफ परियोजनाओं, पट्टे / किराए के माध्यम से या पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर अपने अतिरिक्त बैकहॉल ट्रांसमिशन मीडिया संसाधन क्षमता तक पहुंच प्रदान करनी होगी, जो ऐसे संसाधनों तक पहुंच चाहते हैं।

ख. संबंधित राज्य/एलएसए स्तर की दूरसंचार क्षेत्र की इकाई के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, और इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर एलएसए के सभी ऑपरेटिंग टीएसपी के उपयुक्त प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि ऑप्टिकल फाइबर-आधारित रिंग निर्माण के लिए टीएसपी में संसाधन पूलिंग में मदद मिल सके और समय-समय पर राज्य/एलएसए स्तर पर ऐसे अभ्यावेदन की समीक्षा और समाधान किया जा सके।

(xvi) पहले की अनुशंसाएँ दिनांक 29.11.2022 'लघु सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फ़र्निचर का उपयोग' के माध्यम से दोहराया गया कि पट्टेदार (एक टीएसपी) द्वारा किसी भी पट्टादाता टीएसपी को अतिरिक्त बैकहॉल मीडिया ट्रांसमिशन संसाधन क्षमता के उपयोग के लिए भुगतान किए गए शुल्क को ऐसे पट्टेदार के लागू सकल राजस्व (एजीआर) पर पहुंचने के लिए पट्टादाता टीएसपी के सकल राजस्व से कम किया जाना चाहिए।

(xvii) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में मोबाइल टावर साइटों पर सैटेलाइट बैकहॉल के प्रावधान पर किए गए विश्लेषण पर विचार करते हुए, प्राधिकरण निम्नलिखित अनुशंसाएँ करता है:

क. दिनांक 12.12.2022 की "हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी/ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार" अनुशंसाओं के अनुरूप दूरसंचार विभाग को पूर्वोत्तर के सुदूर और पहाड़ी इलाकों में ऐसी सभी साइटों का साइट-वार विश्लेषण करना चाहिए

जो किसी भी टीएसपी द्वारा वीसैट (VSAT) पर चलाए जा रहे हैं। सरकार की सामरिक या सेवा वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने वाली साइटों को चलाने की संपूर्ण परिचालन लागत को सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

ख. रखरखाव समझौते की पूरी अवधि के लिए 4G सेचुरेशन प्रोजेक्ट के सभी लिंक के सैटेलाइट लिंक शुल्क का 100% प्रतिपूर्ति यूएसओएफ/डीओटी द्वारा बीएसएनएल को की जाएगी, अर्थात वर्तमान फॉर्मूला-आधारित के स्थान पर 5 साल की अवधि के लिए, जैसा कि अनुबंध में किया गया है।

ग. रखरखाव समझौते की पूरी अवधि के लिए 4G कवरेज परियोजना के लिए यूएसओएफ/डीओटी द्वारा टीएसपी को सैटेलाइट लिंक के लिए सब्सिडी दी जाएगी, अर्थात समझौते में किए गए 2 साल के बजाय 5 साल के लिए।

(xviii) दिनांक 26.09.2013 को "पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार: एक निवेश योजना" के माध्यम से की गई पिछली सिफारिश को दोहराया गया है, जिसमें कहा गया है कि "यूएसओएफ/डीओटी को यूएसओ वित्त पोषित परियोजनाओं में कड़ी समयसीमा का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। यूएसओएफ को परियोजना को लागू करने वाली एजेंसियों के साथ अपने समझौतों में देरी के लिए गंभीर दंड का प्रावधान है-करना चाहिए। साथ ही, यूएसओएफ को निर्धारित समय सीमा से पहले काम पूरा होने की स्थिति में निष्पादन एजेंसियों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए।"

(xix) दूरसंचार विभाग को प्राथमिकता के आधार पर एसएसबी/आईटीबीपी/सेना/बीएसएफ़ के फॉरवर्ड पोस्ट स्थानों पर कनेक्टिविटी और 4G कवरेज प्रदान करनी चाहिए। इसकी सूचना दूरसंचार विभाग को डीओ पत्र संख्या जी-17/(41)/2023-एनएसएल-। दिनांक 14.07.2023 के जरिए दे दी गई है।

(xx) दूरसंचार विभाग को सिक्किम से संबंधित सभी बिंदुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, जैसा कि भादूविप्रा के डीओ पत्र संख्या एम-5/9/(4)/2021-क्यूओएस दिनांक 07.10.2022 में उल्लिखित है क्योंकि ये बिंदु अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी समान रूप से प्रासंगिक हैं और इसलिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।

5. अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in उपलब्ध हैं।

6. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण) भादूविप्रा से दूरभाष नंबर +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा